कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

"वेब परिचालन"

सं: हि.अनु./हि.शि.यो./संगठन/2021/वॉल-IV/11223

दिनांक: 24/1/25
24 JAN 2025

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.) /
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)/ निदेशक, पीडीनास,
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय/आं.प्र.सं.),
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय (प्र.से.प्र.),

विषय: हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन नियमित/पत्राचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा शुल्क देने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

विदित है कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, के निदेशानुसार हिंदी भाषा प्रशिक्षण तथा हिंदी टंकण / आशुलिपि प्रशिक्षण सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाना अनिवार्य है ।

चूंकि क.भ.नि.सं. एक सांविधिक/ स्वायत्त निकाय है, अत: हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन नियमित/पत्राचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु यदि संबंधित केंद्र द्वारा परीक्षा शुल्क मांगा जाए तो नियमानुसार दिया जाना अपेक्षित है । इस संबंध में राजभाषा विभाग का कर्यालय ज्ञापन सं. 21034/52/2010-रा.भा.(प्रशि) दिनांक 14.12.2010 संलग्न है ।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि ।

(भास्कर चौर्डिया)
अपर केंद्रीय भ.नि.आयुक्त (मुख्या.)/प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

सं0 21034/52/2010-रा0भा0(प्रशि0)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर, 2010
14 DEC 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी निगमों/उपक्रमों/बैंकों/निकायों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रबोध, हिंदी प्रवीण, हिंदी प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को रुपए 100/- (रुपए एक सौ मात्र) परीक्षा शुल्क के रूप में देना होगा।

2. यह कार्यालय ज्ञापन आंतरिक वित्त प्रभाग (वित्त -II), गृह मंत्रालय की दिनांक 3-11-2010 के डायरी संख्या 73015/वित्त-II/10 के तहत दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

3. यह आदेश कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग(अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्राधीन सभी सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत संगठनों/निगमों आदि के ध्यान में लाए)।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11,तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
7. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
8. सभी संघ शासित क्षेत्र।
9. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
10. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
12. संयुक्त सचिव(राजभाषा) के निजी सचिव।
13. अतिरिक्त प्रतियां (100)